

**कार्यालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां, जिला बारां (राज0)**

क्रमांक:- स्टेनो/प्रशा./2024/11

दिनांक :- 29.8.2024

**कार्यालय आदेश :-**

मैं कविता राणावत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां एतद्वारा धारा 12 व 13 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए और श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां से प्राप्त मौखिक निर्देश के आधार पर राजपत्रित अवकाशों की निम्न तिथियों में, आवश्यक प्रकृति के दाण्डिक कार्य जैसे बेल, रिमाण्ड, सुपुर्दगी, मृत्युकालिन कथन आदि कार्य हेतु, निम्न न्यायिक अधिकारीगण का कार्य उनके मुख्यालय पर नियत करती हूँ।

क्र० सं०	दिनांक	पीठासीन अधिकारी का नाम	मुख्यालय का नाम	मोबाईल नं०
01	01.09.2024 08.09.2024 22.09.2024	श्रीमती सुमन मीणा	न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू	मो०नं०-9413260033
02	13.09.2024 14.09.2024 15.09.2024	शाहिस्ता लोधी	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू	मो०नं०-9529155244
03	16.09.2024 17.09.2024	श्री राजीव दत्तात्रेय	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहाबाद	मो०नं०-9413932658
04	28.09.2024 29.09.2024	श्रीमती संयोगिता	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-1, छबड़ा	मो०नं०-9001560043

1. प्रत्येक उक्त न्यायिक अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त तिथियों पर अपने मुख्यालय पर उक्त कार्य के निष्पादन हेतु उपलब्ध रहेंगे। बिना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां को सूचना दिये अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। किसी विशेष परिस्थितियों में श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां से पूर्व अनुमति लेते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सुझाव देते हुए, अपना मुख्यालय छोड़ सकेंगे।

2. यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिए नियत किए गए थे।

नोट :- उपरोक्त के अलावा संबंधित थानाधिकारी अपने मूल न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, यदि वह अपने मुख्यालय पर मौजूद है, से भी रिमाण्ड आदि ले सकेंगे।

(कविता राणावत)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां  
जिला बारां (राज0)

क्रमांक :- 1114

दिनांक :- 29-08-2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां
- श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, बारां को प्रेषित कर लेख है कि बारां जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र के थानाधिकारियों को आदेश से सूचित करने का श्रम करें।
- थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली बारां।
- सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय, बारां को बारां न्याय क्षेत्र की Website-baran.dcourt.gov.in पर इस आदेश को अपलोड व बारां न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों में ई-मेल करने हेतु।
- कार्यालय प्रति।

(कविता राणावत)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां  
जिला बारां (राज0)